बाबूलाल बनाम मनोज

किस्म मुकदमा 223 आर.टी.एक्ट नं 72/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज पंजिका की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के कोर्ट कैम्प के निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत थानागाजी में सादिर फरमाया गया है जिस बाबत् ना तो हम अपीलांट को कभी कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सूचना दी गई, जिस कारण हम कैम्प कोर्ट में हाजिर नही हो सके। साथ ही उस दिन वादी असल रेस्पोडेण्ट भी न्यायालय में हाजिर नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय मेरिट्स पर सादिर फरमाया है। जबकि कानूनन वादी अथवा उसके अभिभाषक के हाजिर नही होने के कारण वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिये था। उक्त वाद में केवल घोषणात्मक डिक्री व दुरूस्ती के लिये निवेदन किया गया था, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तकसीम की डिक्री पारित की है। राजस्व लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जो आपसी राजीनामे से हो सकते हो, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय मेरिट्स पर सादिर फरमाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा उल्लंघन में पारित किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय या स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी। (2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः लोक अदालत के बिन्दु पर हम उक्त अपील में यह आदेश देना उचित समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 19.06.2018 को प्रचलन से रोका जाता है। उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। BL	